विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ाई जा रही जागरूकता

ग्रामवासियों ने देखा प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम का सजीव प्रसारण

-आज समाचार सेवा-

बदायूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के संतृप्तिकरण के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने हेतु विकासखंड सालारपुर के ग्राम पंचायत कुनार, विकासखंड उसावां के ग्राम पंचायत किसनी खेड़ा खाम, विकासखंड वजीरगंज के ग्राम पंचायत मनवा, विकासखंड म्याऊं के ग्राम पंचायत मुड़सेना खाम, विकासखंड समरेर के ग्राम पंचायत सिसैया गोसाई, विकासखंड अंबियापुर के ग्राम पंचायत पिण्डौल, विकासखंड जगत के रूखडा खौला, विकासखंड दातागंज के ग्राम गलोथी में एवं विकासखंड उझानी के ग्राम पंचायत अन्नी में जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा सिंह, जिलाधिकारी मनोज कुमार, मुख्य विकास अधिकारी के शव कुमार, जिला विकास अधिकारी श्वेतांग पाण्डेय, उप जिलाधिकारी सदर सुखलाल प्रसाद एवं संबंधित अधिकारी ने प्रतिनिधियों व ग्राम वासियों के साथ प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड सालारपुर के ग्राम पंचायत गुरूपुरी विनायक, विकासखंड उसावां के ग्राम पंचायत खेड़ा किसनी पुख्ता, विकासखंड वजीरगंज के ग्राम पंचायत हतरा, विकासखंड म्याऊं के ग्राम पंचायत बघौरा उर्फ गौसगंज, विकासखंड समरेर के ग्राम पंचायत नगरिया खुर्द, विकासखंड अंबियापुर के ग्राम पंचायत बबनौसी, विकासखंड जगत के उतरना एवं विकासखंड उझानी के ग्राम पंचायत बसन्त नगर तथा विकासखंड दातागंज के ग्राम रोहड़ी में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जन-जन पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत मेरी कहानी, मेरी जुबानी के ज़रिए लाभार्थियों ने योजना से मिले लाभ से अपने जीवन में आए परिवर्तन एवं ऊन्नति का अनुभव सभी से साझा किया।

23 विद्यालयों के 126 विज्ञान मॉडल किए प्रस्तुत

-आज समाचार सेवा-

बदायूँ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के निर्देशन में कार्यरत जिला विज्ञान क्लब बदायूं के तत्वाधान में क्लब के अध्यक्ष जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन सिगलर मिशन गर्ल्स इंटर कॉलेज बदायूं में संपन्न हुआ ,जिसमें जनपद के 23 विद्यालयों के 126 विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किए गए। जिनमें से राजकीय हाई स्कूल गुड़गांव के विजय साहू का मॉडल प्रथम स्थान पर रहा, जबकि इसी कॉलेज के श्याम सुंदर का मॉडल द्वितीय स्थान पर रहा, राजकीय हाई स्कूल खुनक के विद्यार्थी लक्ष्य पाल का मॉडल तृतीय स्थान पर रहा, केदारनाथ महिला इंटर कॉलेज बदायूं की पूर्ति साहू का मॉडल चतुर्थ स्थान पर रहा, ब्लूमिंग डेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा जजा और बलिन का मॉडल पंचम स्थान पर रहा ,जीलॉट पब्लिक स्कूल के छात्र यशवर्धन का मॉडल छठे स्थान पर रहा, गंगादीन इंटर कॉलेज गूरा नवीगंज के विद्यार्थी रोहित गुप्ता का मॉडल सातवें स्थान पर रहा ,मदर्स पब्लिक स्कूल की स्नेहा शर्मा का मॉडल आठवीं स्थान पर रहा ,क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल के फैजान का मॉडल 9वे स्थान पर रहा, जीलॉट् पब्लिक स्कूल के योगेश वर्मा का मॉडल 10वेस्थान पर रहा, केदारनाथ इंटर कॉलेज की श्रेया का मॉडल 11 वे स्थान पर रहा ,भगवान परशुराम इंटर कॉलेज के अभिषेक का मॉडल 12वीं स्थान पर रहा ,गवर्नमेंट हाई स्कूल गुड़गांव के अर्पित का मॉडल 13वें स्थान पर रहा ,केदारनाथ महिला इंटर कॉलेज की छात्रा वंदना का मॉडल 14वे स्थान पर रहा और केदारनाथ महिला इंटर कॉलेज की छात्रा उमा का मॉडल 15 वे स्थान पर रहा ।इस प्रकार से चयनित 15 विज्ञान मॉडल मंडल स्तर पर प्रतिभागिता सुनिश्चित करेंगे। प्रथम ,द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम स्थान प्राप्त विजेताओं को क्रमशः रुपए 5 000, 3 000,2000,1000,1000 पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए । विजेताओं को स्मृति चिन्ह एवं समस्त प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र जिला विज्ञान क्लब की ओर से प्रदान किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वर्षा यादव ने किया और अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी श्री केशव कुमार जी ने की। कार्यक्रम अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि महोदय ने सभी विज्ञान मॉडल को देखकर प्रतिभागियों से विभिन्न प्रश्न किये और विज्ञान मॉडल को सराहा अपने मुख्य अतिथि के रूप में भाषण में अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती वर्षा यादव ने कहा कि जनपद के विद्यार्थियों ने बहुत ही सुंदर विज्ञान मॉडल बनाए हैं जिन्हें देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और अपना विद्यार्थी जीवन याद आया। कार्यक्रम अध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी श्री केशव कुमार ने बताया की विज्ञान के बिना जीवन सुगम नहीं हो सकता, विज्ञान हमारे जीवन का महत्वपूर्ण विषय है हमें इस विषय को गंभीरता से पढ़ना होगा और अपनी सोच को वैज्ञानिक बनना होगा तब ही हम अपना और अपने देश का विकास कर पाएंगे ।कार्यक्रम का संचालन जिला विज्ञान क्लब बदायूं के समन्वयक विवेक जौहरी ने किया मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम अध्यक्ष का स्वागत प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक छत्रपाल सिंह ने किया । इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉ सुमन अब्राहम हाफिज सिद्दीकी इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अब्दुल सुबूर खान, श्रीमती हेमा मेहता ,कुमारी अर्चना तिवारी ,श्रीमती पूनम अग्रवाल श्रीमती कामिनी गुप्ता, श्रीमती ज्योति कुलश्रेष्ठ , ह्रदेश भारद्वाज प्रमोद तिवारी ,मोहम्मद सलीम, सुधीर कुमार सिंह ,अजय कुमार सक्सेना ,श्रीमती मोनिका सक्सेना ,श्रीमती पूनम यादव आदि उपस्थित रहे ।निर्णायक मंडल में आलापुर पॉलिटेक्निक के शिव शंकर, दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत अभियंता देवेंद्र सहाय ,डॉ कृष्ण जौहरी एवं डॉक्टर ममता शर्मा ने विज्ञान मॉडल का मूल्यांकन कर निष्पक्ष रूप से चयन किया । कार्यक्रम के समापन के अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर सुमन अब्राहम ने सभी अपना आभार व्यक्त किया सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी ।

छात्र/छात्राओ को क्राइम विषयो की जानकारी दी गई

-आज समाचार सेवा-

बदायूँ। डॉ0 ओपी सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर अमित किशोर श्रीवास्तव के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी नगर आलोक मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में जनपद के थाना मुजरिया, उझानी, सहसवान पर अन्तर्गत पाठशाला का आयोजन किया गया। जिसमें छात्र/छात्राओं द्वारा पूर्ण मनोयोग से इस पाठशाला में प्रतिभाग किया गया । जिसमें स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं को अनुभवात्मक सिखायी व लोक कौशल में सुधार एवं साथ ही साथ कानून एवं आपराधिक प्रक्रिया,आपराधिक अनुसंधान, यातायात नियन्त्रण, साइबर क्राइम, मानव तस्करी, कानून व्यवस्था इत्यादि जैसे विषयो की जानकारी दी गयी ।

अभियुक्त को किया दण्डित

-आज समाचार सेवा-

बदायूँ। थाना बिनावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 259/93 धारा 380/411 भादवि बनाम पूरन पुत्र किशनलाल निवासी मानकपुर थाना वजीरगंज जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 श्री अजय द्वारा की गयी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना बिनावर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30-11-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त पूरन उपरोक्त को धारा 380/411 भादवि के अन्तर्गत 2,000/- रु0 के अर्थदण्ड तथा जेल मे बिताई गयी अवधि की सजा से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । पैरवी करने वाले पैरोकार थाना बिनावर तथा लोक अभियोजक सुश्री सौम्या अरुण तथा विवेचक उ0नि0 श्री अजय का योगदान सराहनीय रहा।

एफएलसी कार्य आज से होगा आरंभ

-डीईओ ने तैयारियों का किया निरीक्षण-

-आज समाचार सेवा-

बदायूँ। जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थित एवं गोदाम में सुरक्षित ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) का कार्य की तैयारियों का जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल के साथ निरीक्षण किया। एफएलसी कार्य आज 1 दिसंबर से आरंभ हो जाएगा जो 20 दिसंबर 2023 तक चलेगा। बता दें कि एफएलसी का कार्य हैदराबाद से आए भारत निर्वाचन आयोग के अधिकृत इंजीनियर्स की टीम द्वारा किया जाएगा तथा एफएलसी के कार्य के समय ईवीएम के जनपद स्तरीय समस्त मास्टर ट्रेनर व मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां जैसे वेरीफैकेशन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एफएलसी करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए आईडी कार्ड, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा की स्थापना, निर्वाचन आयोग को सीधी वेब कास्टिंग के लिए समस्त आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। डीएम ने तैयारियों का निरीक्षण कर इसकी समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि एफएलसी कार्य में जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए, पूरा पर्यवेक्षण एवं एफएलसी कार्य उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश पटेल के निर्देशन में होगा।

आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को किया दण्डित

-आज समाचार सेवा-

बदायूँ। थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 645/89 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम असलम उर्फ अफजाल पुत्र अरवे खां निवासी कोठी कस्बा ककराला थाना अलापुर जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 श्री एस0एन0 श्रीवास्तव द्वारा की गयी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना सिविल लाइन द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30-11-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त असलम को धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत जेल मे बिताई गयी अवधि की सजा से दण्डित किया गया । पैरवी करने वाले पैरोकार थाना सिविल लाइन तथा लोक अभियोजक सुश्री सौम्या अरुण तथा विवेचक उ0नि0 श्री एस0एन0 श्रीवास्तव का योगदान सराहनीय रहा।

डीएम ने आश्रय स्थल का किया औचक निरीक्षण

-आज समाचार सेवा-

बदायूँ। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। किसी भी बेघर या बेसहारा व्यक्ति को रात्रि में ठहरने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी मनोज कुमार ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार पटेल एवं परियोजना निदेशक देवेश कुमार सिंह के साथ प्राइवेट बस स्टैंड के पास स्थित शहरी बेघरों हेतु आश्रय स्थल(शेल्टर होम) का गुरुवार को औचक रूप से निरीक्षण किया। जिलाधिकारी को यहां विभिन्न प्रकार की कमियां देखने को मिली। उन्होंने पाया कि कुछ खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं और दीवारों पर सीलन हैं। डीएम में निर्देश दिए की टूटे शीशे व सीलन को ठीक कराया जाए। आश्रय स्थल में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, शौचालय और हैंड वॉश के लिए पानी, समुचित सफाई व्यवस्था, पौधारोपण, रंगाई-पुताई, इंटरलॉकिंग आदि समस्त व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के तौर पर पूर्ण कराया जाए। यहां ठहरने वाले लोगों को समय से भोजन उपलब्ध हो इसके लिए रसोई भी संचालित कराई जाए। यहां कोई भी बेघर या बेसहारा व्यक्ति को रात्रि में निःशुल्क ठहर सकता है।

01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

-आज समाचार सेवा-

बदायूँ। डॉ0 ओपी सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशन मे अवैध शस्त्र क्रय/विक्रय/तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 30.11.2023 को थाना जरीफनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त भारत पुत्र पर्वत सिंह निवासी करियावैन थाना जरीफनगर जनपद बदायूं को एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया । जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 316/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । थाना मुजरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त मुनेन्द्र पुत्र पंचम सिंह निवासी ग्राम इस्माइलपुर मेमडी थाना मुजरिया जनपद बदायूं को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया । जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 303/2023 धारा 3/25(1ङ्ग)(ङ्ग) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभि0गण को संबंधित मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार बदायूं भेजा गया । इसके अतिरिक्त वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना मुजरिया पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त कृष्णपाल पुत्र ईश्वरी प्रसाद निवासी ग्राम मिश्रीपुर मुकईया थाना मुजरिया जनपद बदायूं संबंधित वाद सं0 376/16 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को संबंधित मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार बदायूं भेजा गया ।

एमआईईटी कुमाऊं के सीईओ डॉ. कमल सिंह रावत को देवभूमि एजुकेशन अवार्ड मिला

-आज समाचार सेवा-

मेरठ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसीआईसी देवभूमि फाउंडेशन के सीईओ डॉ. कमल सिंह रावत को देवभूमि एजुकेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। इस दौरान कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत, उत्तराखंड फॉरेंसिक साइंस लैब के संयुक्त निर्देशक डॉ दयाल शरन, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट और मेयर हल्द्वानी जोगेंद्र रौतेला, एमआईईटी कुमाऊं के प्रबंधन निर्देशक डॉ बी एस बिष्ट अन्य उपस्थित रहे। डॉ. कमल सिंह रावत जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी हैं। उन्होंने अपने शैक्षणिक करियर के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रमुख पत्रिकाओं में 50 से अधिक शोध लेख और दो पेटेंट्स भी दाखिल किए हैं उन्हो ने अपने शैक्षिक करियर के दौरान कई कार्यशाला और शिक्षक विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया है। डॉ कमल सिंह रावत ने पिछले साल से एसीआईसी देवभूमि फाउंडेशन को विकसित करने के लिए कार्य किया, ताकि समुदाय में नए विचारों और उद्यमो को प्रोत्साहित किया जा सके। उनका योगदान केवल शिक्षा और नवाचार में ही नहीं है, बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी, जहां उन्होंने 50 से अधिक स्वयं सहायता समूह, 10 एनजीओएस, और कई स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन प्रदान किया है। उन्होंने सत्र 2022-23 में 500 से अधिक स्कूली शिक्षकों और 2000 स्कूल और कॉलेज के छात्रों को नवाचार और उद्यमिता पर जागरूकता वर्कशॉप्स कराए हैं, जिससे वे नए और नवाचारी विचार प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, उन्होंने एसीआईसी को स्कूल, सरकार, और कंपनियों के साथ जोड़कर नए उद्यमों को समर्थन प्रदान करने में मदद की है। एसीआईसी देवभूमि फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो भारत सरकार के नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत संचालित एटल इनोवेशन सेंटर के रूप में सक्रिय है।

जिला मुख्यालय स्तरीय कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर किया शुभारम्भ

मेरठ। गुरुवार को जिमखाना मैदान में मंत्री रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार अश्वनी वैष्णव एवं अन्य जनप्रतिनिधियो द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारम्भ मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। सर्वप्रथम आयुक्त व जिलाधिकारी द्वारा रेलमंत्री व जनप्रतिनिधियो का स्वागत किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत एनआरएलएम ग्राम विकास की लाभार्थी सोहनवीरी, कृषि विभाग के लाभार्थी कृषणवीर, स्वास्थ्य विभाग की आयुष्मान योजना की लाभार्थी गीता तथा उज्वला योजना की लाभार्थी पायल द्वारा अपने-अपने अनुभव साझा किये गये। रेल मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी मौहम्मद युसूफ, मुमताज अली, नीटू कुमार, उस्मान, अशरफ को प्रतीकात्मक रूप से चाबी सौंपी गई। जनप्रतिनिधियो द्वारा रेलमंत्री को मोमेन्टम दिया गया। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागो द्वारा स्टॉल लगाकर अपने विभाग से संबंधित योजनाओ की जानकारी आमजन को प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प चार अमृत स्तंभो पर टिका है यह अमृत स्तंभ है- हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। उन्होने कहा कि मेरे लिए सबसे बडी जाति गरीब, युवा, महिलाएं, किसान है इन चार जातियो का उत्थान ही भारत को विकसित बनायेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगो तक सरकार की योजनाएं लेकर जा रही है जो अब तक इनसे छूटे हुये थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल रूप से एम्स देवघर झारखंड में 10 हजारवे जन औषधी केन्द्र तथा प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केन्द्र का उद्घाटन तथा विभिन्न योजनाओ के लाभार्थियो से संवाद किया, जिसका सजीव प्रसारण कार्यक्रम स्थल पर देखा गया। रेलमंत्री ने कहा कि चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे महाभारत का इतिहास हो, चाहे रामायण के युग से ी बाते हो मेरठ का नाम इतिहास के पन्ने पर स्वर्ण अक्षर से लिखा हुआ है। उन्होने कहा कि हर क्षेत्र में एक नई सोच विकसित हुई है इसके पीछे के अनुभव को साझा करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री ने देश के हर आयाम को, हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर क्षेत्र को सबका साथ सबका विकास की धारा से जोडा है। उन्होने कहा कि पहले भारत विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था था प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब पांचवी बडी अर्थव्यवस्था बन गया है।

दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड से किया दण्डित

-आज समाचार सेवा-

बदायूँ। थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 76/2019 धारा 376(एबी) भादवि, 5(रू)/6 पॉक्सो एक्ट बनाम मुकेश पुत्र नरेश निवासी ग्राम कुतरई थना अलापुर जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार द्वारा की गयी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना अलापुर कां0 सतीश कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30-11-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त दुष्कर्म मे दोषसिद्ध अभियुक्त मुकेश उपरोक्त को अंतर्गत धारा 5(रू)/6 पॉक्सो एक्ट से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व धारा 376 एबी भादवि के आरोप मे दोषी पाते हुए केवल धारा 376 एबी भादवि के आरोप मे आजीवन कारावास की सजा व 1,00,000/- (एक लाख) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । दोषसिद्ध अभि मुकेश द्वारा जेल में पूर्व में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी । अधिरोपित संपूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि का संदाय मुकदमे की पीड़िता को उसके चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति हेतु किया जाएगा।

सार्वजनिक सूचना

ICICI Bank

शाखा कार्यालयः-आईसीआईसीआई बैंक लि.,तृतीय तल, प्लाट नं०-23, न्यू रोहतक रोड करोल बाग, देहली-110005

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न कर्जदारों ने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन तथा ब्याज का भुगतान नहीं किया है तथा ऋणों के नानपरफार्मिंग एसेट् (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रि-कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट् एण्ड इनफोसेमेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एक्ट,2002 की धारा-13 (2) के अन्तर्गत उन्हें उनके वर्णित लिखित पते पर नोटिस जारी की गयी है। यद्यपि की नोटिस बिना तामीर के वापस हो गयी तथा हालांकि उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के जरिये एतदद्वारा सूचित किया जाता है।

क्र.सं.	कर्जदारों/सहकर्जदारों/गारंटीदाता का नाम/(ऋण खाता संख्या) एवं पता	सिक्योर्ड सम्पत्ति/प्रवर्तित की जाने वाली सम्पत्ति का पता	प्रेषित नोटिस की तिथि/नोटिस की तिथि को बकाया धनराशि	एनपीए दिनांक
1.	बबलू, कस्सार/नफीस कस्सार (LBMRT00001396573)और मकान नं०-652, बुधाना गेट निकट अजन्ता बस सर्विस उत्तर प्रदेश मेरठ-250001	मकान नं०-14/12, शास्त्री नगर, योजना नं०-7, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001	07/11/2023 रूपये 4,93,880/-	03/07/2023

नोटिस की स्थानापन्न तामिली हेतु कदम उठाये जा रहे है। उपरोक्त कर्जदारों तथा अथवा उनके गारन्टीदाताओं (जहां भी लागू हो) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रि-कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट् एण्ड इनफोसेमेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एक्ट,2002 के प्राविधानों के अनुसार अगली कार्यवाही की जायेगी।

दिनांकः- 01 दिसम्बर 2023
स्थानः-मेरठ और आगरा

अधिकृत अधिकारी
सुरक्षित लेनदार

ICICI Home Finance

कारपोरेट कार्यालयः-आईसीआईसीआई होम फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड,आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059 इण्डिया।
शाखा कार्यालयः-307/1, प्रथम तल, बिश्रोई टॉवर, मंगल पाण्डेय नगर, अपैक्स टावर के सामने मेरठ-250004

(देखें-नियम-8 (6) के प्राविधान)
अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु सूचना

सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (इम्फोर्समैण्ट) रूल्स-2002 के नियम-8(6) के प्राविधानों सहित सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेण्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट-2002 के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।
एतदद्वारा जनसाधारण को तथा कर्जदारों एवं गारण्टीदाताओं को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि आईसीआईसीआई होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा सिक्योर्ड क्रेडिटर को बन्धक की गई/ प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया गया है तथा उसे नीचे दिये गये संक्षिप्त विवरण के अनुसार ***जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है*** के आधार पर बिक्री की जायेगी।

क्र.सं.	कर्जदार/सहकर्जदारों/गारण्टीदाताओं/विधिक उत्तराधिकारियों के नाम ऋण खाता संख्या	ज्ञात प्रभारों यदि कोई है/सहित प्रतिभूतित सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि	रिजर्व कीमत धरोहर धनराशि जमा	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	रविन्द्र कुमार (कर्जदार) बबिता (सह-कर्जदार) ऋण खाता संख्या LHMRT000001297495 & LHMRT000001297493	खसरा नं०-900 ग्राम अब्दुल्लापुर मेरठ, मेरठ-250002	रू. 15,00,786/- 22 नवम्बर 2023	रू. 10,72,521/- रू. 1,07,260/-	11 दिसम्बर 2023 पूर्वान्ह-11.00 बजे अपरान्ह-03.00 बजे	19 दिसम्बर 2023 अपरान्ह-2.00 बजे अपरान्ह-03.00 बजे

आन लाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी **ग्लोब टेक** के वेबसाइट **(URL Link-/https://BestAuctionDeal.com)** हमारी एक्शन एजेंसी टाइगर पर संचालित की जायेगी/ बंधक कर्ताओं को **18 दिसम्बर,2023** तथा **अपरान्ह-5.00 बजे** के पूर्व तक अतिरिक्त व्याज सहित कुल बकाया का भुगतान करने के लिये अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। अन्यथा इन सिक्योर्ड सम्पत्तियों को उपरोक्त शेड्यूल के अनुसार बिक्री कर दी जायेगी।
अपेक्षित बिडर्स धरोहर धनराशि जमा (ई.एम.डी.) आर.टी.जी.एस./डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) (कालम/(ई) देखे) को **आई.सी.आई.सी.आई. होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड 307/1, प्रथम तल, बिश्रोई टॉवर, मंगल पाण्डेय नगर, अपैक्स टावर के सामने मेरठ-250004** पर **18** दिसम्बर 2023 के पूर्व अथवा तक **अपरान्ह** 04.00 बजे के पूर्व अवश्य जमा कर देवे/ कृपया ध्यान दे यदि अपेक्षित बिडर्स उपरोक्त समय के अनुसार अपने आफर जमा करने में असमर्थ होगे तब निविदा प्रपत्रों की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि **आई.सी.आई. सी. आई.होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड 307/1, प्रथम तल, बिश्रोई टॉवर, मंगल पाण्डेय नगर, अपैक्स टावर के सामने मेरठ-250004** पर **18** दिसम्बर 2023 के पूर्व अथवा तक **अपरान्ह** 5.00 बजे पूर्व जमा किया जा सकता है। धरोहर धनराशि जमा डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) **आई.सी.आई.सी.आई.होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड-आवशन** के पक्ष में **मेरठ** में देय किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के **आई.सी.आई.सी.आई.होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड-** स्थान **मेरठ** के नाम होना चाहिये।
निरीक्षण, नीलामी की नियम तथा शर्ते अथवा निविदा के जमा के संबंध में किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण हेतु कृपया **आई.सी.आई.सी.आई.होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड** से **022-69974300** या हमारे **सेल्स और मार्केटिंग हिस्सेदार नैक्सौन सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड** से सम्पर्क किया जा सकता है।
अधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी अथवा सभी बि